चोर और अवैध कबाड़ियों पर रायगढ़ पुलिस ने कसा शिकंजा

चक्रधरनगर पुलिस की कार्यवाही में दो शातिर चोर और दो कबाड़ी गिरफ्तार, डेढ़ लाख के स्पेयर पार्ट्स समेत 5 लाख रुपए की संपत्ति जब्त

- शातिर चोर गिरोह पर चक्रधरनगर पुलिस ने नकबजनी और संगठित अपराध की धाराओं पर की कार्रवाई

रायगढ़

एसपी दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन पर संपत्ति संबंधी अपराधों में माल मुलाजिम की पतासाजी के क्रम में चक्रधरनगर पुलिस द्वारा दो शातिर चोरों को गिरफ्तार कर चोरी की संपत्ति खरीदने वाले दो कबाड़ी के यहां छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान चोरी की संपत्ति, जिसमें स्पेयर पार्ट्स, कॉपर पाइप, और चोरी में प्रयुक्त स्कूटी व कार शामिल हैं, कुल करीब रु.5 लाख की जप्ती की गई है।

वहीं कोतवाली पुलिस की टीम द्वारा चोरी की बाइक बेचने की फिराक में रेलवे स्टेशन पर ग्राहक तलाश कर रहे बाइक चोर को गिरफ्तार किया है जिससे KGH से चुराई हीरो होंडा बाइक की जप्ती की गई है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीएसपी अभिनव उपाध्याय द्वारा खुलासा कर बताए कि एसपी दिव्यांग पटेल के मार्गदर्शन पर सभी थानों के साथ साइबर सेल की टीम, पूर्व चोरी में संलिप्त रहे संदिग्धों पर निगाह रखकर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कल टीआई चक्रधरनगर निरीक्षक प्रशांत राव और उनकी टीम द्वारा बोईरदादर स्थित स्वराज रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन दुकान पर चोरी के माल मुलाजिम की पतासाजी दौरान मुखबीर सूचना पर आईटीआई कॉलोनी अंबेडकर आवास में दबिश देकर आरोपी-

(1) दुर्गेश देवांगन उर्फ़ पिंटू 28 साल (2) चंदन राय उम्र 23 साल दोनों निवासी आईटीआई कॉलोनी अंबेडकर आवास को पकड़ा गया है, दोनों ने एक बार 02-03 अक्टूबर की रात तथा एक बार 27-28 नवंबर रात के सेंधमारी की घटना को अंजाम देकर स्पेयर पार्ट्स की चोरी किये थे । आरोपियों की गिरफ्तारी से थाना चक्रधरनगर के दो नकब्जानी के मामले अपराध क्रमांक 468/2024 और अपराध क्रमांक 543/2024 धारा 305(ए),331(4) बीएनएस का खुलासा हुआ है।

तथा कोतवाली पुलिस की टीम ने रेलवे स्टेशन पर चोरी की बाइक बेचने ग्राहक तलाश रहे आरोपों को पकड़ा है जिसे एक चोरी की बाइक बरामद की गई है आरोपी से विस्तृत पूछताछ किया जा रहा है।

चक्रधरनगर पुलिस की पकड़ में आए आरोपी पहले पुलिस को काफी गुमराह करने का प्रयास किया पुलिस ने जब कड़ाई की तो दोनों ने दो दफा दुकान के पीछे का शटर ताला तोड़कर चोरी करना स्वीकार किये।

आरोपियों का खुलासा

आरोपियों ने बताया कि दिनांक 02.10.2024 के दोपहर में दोनों मिले और रात को चोरी करने का प्लान बनाकर मोहल्ले के समीप इंडस्ट्रीयल एरिया में स्वराज रेफ्रिजरेशन दुकान के पीछे शटर में लगे ताले को लोहे के राड से तोड़कर अंदर घुसकर एसी के कॉपर पाइप तथा स्पेयर पार्ट्स तथा नगदी रकम 17 हजार रूपये को चोरी किये थे। दूसरे दिन दोनों चोरी किये गये सामान को बोरी में भरकर ज्यूपीटर स्कूटी क्रमांक CG 13 AP 1780 में लेकर इंदिरा नगर के आशिक कबाड़ी के दुकान जाकर आशिक रब्बानी (आशिक कबाड़ी का साला) को बेच दिये जिसमें 06 हजार रूपया मिला था बाकी पैसा आशिक कबाड़ी कुछ दिन बाद ले जाना बोला। उसके बाद फिर से दोनों दिनांक 27-28.11.2024 के रात्रि दुकान का पीछे के शटर के ताला को तोड़कर एसी के पाइप को चोरी किये थे जिसे अगले दिन कार क्रमांक CG 11 AV 5314 में भरकर दोनों भूपदेवपुर के लड्डू कबाड़ी के कबाड़ी दुकान में जाकर 30 हजार रूपये में बेच दिये। चोरी किये गये सामानों को बिकी से प्राप्त रकम 06 हजार, 30 हजार तथा गल्ला से चोरी किये गये रकम 17 हजार कुल 53 हजार रूपये को दोनों आपस में बांट लिये थे।

पुलिस की धरपकड़-

आरोपियों से मिली जानकारी पर दोनों को हिरासत में लेकर आशिक कबाड्डी, इंदिरा नगर और लड्डू कबड्डी भूपदेवपुर के कबाड़ दुकान में छापेमारी कर आरोपी आशिक रब्बानी और आरोपी शेख मुस्ताक अहमद (लड्डू कबड्डी का साला) को हिरासत में लिया गया।

आशिक कबड्डी के कबाड़ दुकान में बेचा गया कबाड़ एसी, स्पेयर पार्ट्स करीब रु.75,000 का जप्ती किया गया तथा लड्डू कबड्डी के दुकान से करीब रु.80,000 रुपए की मशरूका की बरामद की गई। आरोपियों से चोरी सामग्री की बिक्री में प्रयुक्त जुपिटर स्कूटी और कार को भी जप्त किया गया है। आरोपी लड्डू कबाड़ी मोहम्मद हुसैन खान फरार है जिसकी पतासाजी की जा रही है।

आरोपी चंदन राय का थाना चक्रधरनगर में पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड है, आरोपी अपने साथी दुर्गेश देवांगन उर्फ़ पिंटू के साथ मिलकर लगातार अपराधों में संलिप्त रहा है। आरोपियों का कृत्य छोटे संगठित अपराधों की श्रेणी में आए जाने पर प्रकरण में धारा 112(2), 3(5) बीएनएस का विस्तार किया गया है।

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन तथा एडिशनल एसपी आकाश मरकाम एवं डीएसपी अभिनव उपाध्याय के मार्गदर्शन पर इस सफलता में थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक प्रशांत राव, प्रधान आरक्षक श्याम देव साहू, आरक्षक अभय यादव, चंद्र कुमार बंजारे, शांति मिरी और निकेतन पटेल की अहम भूमिका रही है। इस कार्रवाई ने जिले में संगठित छोटे अपराधों पर रोकथाम की दिशा में एक मिसाल कायम की है।

गिरफ्तार आरोपी -

(1) दुर्गेश देवांगन उर्फ पिंटू पिता रमेश देवांगन उम्र 28 वर्ष निवासी आईटीआई कॉलोनी अम्बेडकर आवास थाना चकधरनगर जिला रायगढ़ छ०ग०

(2) चंदन राय पिता शोभा राय उम्र 23 वर्ष निवासी आईटीआई कॉलोनी अम्बेडकर आवास थाना चकधरनगर जिला रायगढ़ छ०ग०

(3) आशिक रब्बानी पिता स्वर्गीय निजामुद्दीन रंगरेज उम्र 42 साल, निवास पता-इंदिरा नगर पता दानीपारा लाल टंकी के पास थाना सिटी कोतवाली जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़

(4) शेख मुश्ताक अहमद पिता अब्दुल रजाक उम्र 24 वर्ष निवासी लड्डू ढ़ाबा भूपेदवपुर थाना भूपेदवपुर जिला रायगढ़ छ०ग० स्थायी अजाक बस्ती (मांगो) थाना 02 नंबर गली जिला जमेशदपुर (झारखण्ड)

फरार - मोहम्मद हुसैन खान (लड्डू कबाड़ी)

बरामदगी- 1.एसी स्पेयर पार्ट्स और कॉपर पाइप - रु.1,55,000, 2. जुपिटर स्कूटी - रु.50,000, 3.कार - रु.3,00,000

कुल बरामदगी: रु.5,00,000

महत्वपूर्ण एवं खास

शासकीय दुकान से 82 लाख से अधिक की हेराफेरी, जुर्म दर्ज

रायपुर (आरएनएस)। शासकीय उचित मूल्य दुकान धरसींवा में 82 लाख से अधिक की राशि का गबन करने का मामला प्रकाश में आया है। प्रार्थी की शिकायत पर धरसींवा पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी देवेश देवदास 34 वर्ष नयापारा वार्ड 1 दुर्ग का रहने वाला है। प्रार्थी ने धरसींवा थाना में शिकायत किया कि शासकीय उचित मूल्य दुकान के खाद्य सामाग्री में हेराफेरी कर आरोपी इंद्राज खान और अमन निर्मलकर ने 82 लाख 8651 रुपए का गबन किया। प्रार्थी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

4.200 किलोग्राम गांजा व 48 हजार नगदी के साथ तस्कर गिरफ्तार

रायपुर (आरएनएस)। ग्रीन लाईट ढाबा के पास गांजा तस्कर गिरफ्तार हुआ है। एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को सूचना प्राप्त हुई कि थाना तेलीबांधा क्षेत्रांतर्गत ग्रीन लाईट ढाबा के पास 01 व्यक्ति दोपहिया वाहन गांजा रखा है तथा बिक्री कर रहा है। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना तेलीबांधा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर मुखबीर द्वारा बताये वाहन एवं हुलिये के व्यक्ति को चिन्हांकित कर पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम संजू उर्फ संजय मराठा निवासी तेलीबांधा रायपुर का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उसके वाहन की तलाशी लेने पर वाहन में गांजा रखा होना पाया गया। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी संजू उर्फ संजय मराठा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 4.200 किलोग्राम गांजा, नगदी ब्रिकी रकम 48,000 रूपये तथा प्रकरण से संबंधित दोपहिया वाहन क्रमांक सी जी/04/क्यू ए/8783 जुमला कीमती लगभग 1,70,000/- रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना तेलीबांधा में अपराध क्रमांक 817/24 धारा 20बी नारकोटिक एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।

जिले के तीन लाख से अधिक महतारी वंदन के लाभार्थियों को मिलेगा विष्णु की पाती

रायगढ़

जिले में 3 लाख से अधिक महतारी वदन योजना की लाभांवित हितग्राहियों को मुख्यमंत्री की ओर से विष्णु की पाती मिलेगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने विष्णु की पाती का वितरण कार्य की शुरुवात ग्राम तेलगी, विकासखंड पुसौर की निवासी सोन कुवर को उनके घर जाकर यह पाती सौपा। जब सोन कुवर से पूछा गया कि आपको महतारी वंदन योजना से कितनी राशि मिलती है तब उन्होंने इशारा में अपना उंगली उठाकर 01 हजार मिलना बताया गया, उनसे जब यह पूछा गया कि मिल रही राशि से आप क्या उपयोग करती हैं तो उनके द्वारा कहा गया कि हम वृद्ध हैं उस राशि का उपयोग दवाई तथा अन्य चीजों में खर्च होता है। राज्य शासन के निर्देश पर महतारी वंदन योजना से लाभांवित हितग्राहियों को यह पाती मिलेगा, जिसमें माता बहनों की खुशहाली रोजमर्रा की जरूरत, परिवार की पोषण और स्वास्थ्य के लिए राशि का उपयोग, बच्चों की पढ़ाई पर जोर दिया गया है। पाती का वितरण आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से करने का निर्देश जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग ने दिया है।

कोतवाली पुलिस ने जिला अस्पताल के सामने से चोरी हुई बाइक के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार

रायगढ़

कोतवाली पुलिस ने बाइक चोरी के एक मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए चोरी की गई मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। पुलिस ने आरोपी सुशील देवांगन (39 वर्ष) सिदारपारा, थाना चक्रधरनगर को गिरफ्तार किया, जो बाइक को बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहा था।

घटना 12 दिसंबर की रात की है, जब जिला अस्पताल के सामने से निराकार चौहान (61 वर्ष), निवासी सोनिया नगर, की हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस (नंबर CG 13 M 9050) चोरी हो गई थी। मोटरसाइकिल मालिक ने 14 दिसंबर को कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।

शिकायत के अनुसार, निराकार चौहान अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए मोटरसाइकिल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के पास खड़ी कर गए थे। वापस आने पर देखा तो उनकी बाइक वहां नहीं थी। इस पर कोतवाली पुलिस ने धारा 303(2) बीएनएस के तहत अपराध पंजीकृत कर जांच शुरू की।

मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तारी

एसपी दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन पर बाइक चोरी के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सक्रिय किए गए मुखबिर की सूचना पर निरीक्षक सुखनंदन पटेल ने आरोपी सुशील देवांगन को रेलवे स्टेशन के पुराने पार्किंग क्षेत्र से गिरफ्तार किया। सुशील चोरी की बाइक को बेचने की फिराक में था।

पुलिस ने चोरी की गई बाइक को जब्त कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बाइक चोरी की घटनाओं पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

कोतवाली पुलिस की तत्परता से चोरी का खुलासा

कोतवाली पुलिस की टीम की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से यह मामला सुलझा। चोरी के मामलों में इस तरह की कार्रवाई आम जनता के बीच पुलिस के प्रति विश्वास को मजबूत करती है। कार्यवाही में निरीक्षक सुखनंदन पटेल प्रधान आरक्षक हेमंत पात्रे तथा कोतवाली और साइबर सेल की टीम का विशेष योगदान रहा।

रायगढ़ पुलिस ने पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के नाम पर ठगी करने वाले दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

- बीज निगम के कर्मचारी बनकर सक्ती जिले के दो युवकों ने 50% सब्सिडी का झांसा देकर पुसौर के दो व्यक्ति से की थी, ठगी
- आरोपियों ने फर्जी रसीद और दिये झूठे वादे, साइबर सेल और पुसौर पुलिस ने ठगों के मंसूबों पर फेरा पानी
- आरोपियों से नकदी रकम की जप्ती, धोखाधड़ी के अपराध में पुसौर पुलिस ने भेजा जेल

रायगढ़

रायगढ़ पुलिस ने प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के तहत 50 प्रतिशत सब्सिडी पर ट्रैक्टर दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपये ठगने वाले दो शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोनू चंद्रा (22) और सागर यादव (23), दोनों निवासी जैजेपुर, जिला सक्ती, छत्तीसगढ़ के रूप में हुई है।

घटना की शुरुआत ग्राम दाउभठली के निवासी कार्तिकराम सिदार की शिकायत से हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि 25 नवंबर को उनके भाई एकादशिया सिदार को एक युवक ने कॉल कर "रायपुर बीज निगम" का होना बताया। कॉलर ने प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के तहत 50 प्रतिशत सब्सिडी पर ट्रैक्टर दिलाने का वादा किया। प्रोसेसिंग शुल्क और दस्तावेज़ जमा कराने के नाम पर आरोपियों ने फोनपे और नकद के जरिए शिकायतकर्ताओं से बड़ी राशि ऐंठी।

ऐसे रची गई ठगी की साजिश

शिकायतकर्ता के मुताबिक, कॉलर ने पहले प्रोसेसिंग शुल्क के तौर पर 22,000 रुपये ऑनलाइन मंगवाए और फिर उन्हें 28 नवंबर 2024 को सक्ती बुलाकर नकद 1.10 लाख रुपये और वसूले। इसके बदले में आरोपियों ने छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम रायपुर के फर्जी बिल थमा दिए। बाद में जब शिकायतकर्ताओं ने रसीद का मिलान किया तो ठगी का पता चला। इस प्रकार कार्तिक सिदार से कुल रकम 65,000 रूपये एवं भोगीलाल सिदार से कुल 75,000 रूपये लिया है। पुलिस ने इस मामले में थाना पुसौर में अप.क्र. 293/2024 धारा 318(4), 319, 338, 339 और 340 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध किया।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई

एसपी दिव्यांग कुमार पटेल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी साइबर सेल अभिनव उपाध्याय को जांच की जिम्मेदारी सौंपी। साइबर सेल ने मोबाइल डिटेल्स खंगालकर आरोपियों की पहचान की और पुसौर तथा साइबर सेल की संयुक्त टीम ने तत्काल सक्ती में दबिश देकर दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में आरोपियों ने ठगी का अपराध स्वीकार किया और बताया कि उन्होंने रकम आपस में बांटकर खर्च कर दी।

जप्त की गई सामग्री

गिरफ्तारी के दौरान आरोपी मोनू चंद्रा से शेष बचे रकम 1,500 रुपये और सागर यादव से 1,000 रुपये बरामद किए गए।

आरोपियों को रिमांड पर भेजा गया

दोनों आरोपी (1) मोनू चंद्रा पिता नीलम चंद्रा उम्र 22 साल निवासी खजुरानी, थाना जैजेपुर जिला सक्ती (2) सागर यादव पिता जमुलाल यादव 23 साल निवासी वार्ड नं0 04 जैजेपुर, जिला सक्ती छ.ग. को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस ने इस मामले में आगे की जांच शुरू कर दी है।। ठगी के मामले में त्वरित कार्रवाई में साइबर सेल और पुसौर पुलिस की अहम भूमिका रही है। दोनों आरोपियों के पूर्व आपराधिक रिकार्ड की जानकारी ली जा रही है।

25 लाख का ईनामी नक्सली पेशे से था इंजीनियर

रायपुर । आरएनएस

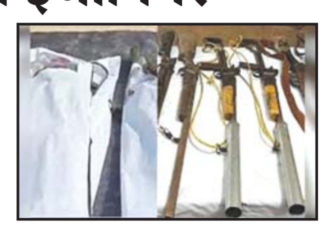

छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है। इसमें बड़े कैडर के नक्सली भी मारे जा रहे हैं। दो दिनों पहले अबूझमाड़ में हुई मुठभेड़ में 25 लाख रुपए का इनामी नक्सली भी ढेर हो गया, प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृत नक्सली पेशे से इंजीनियर था। मारा गया। पता चला है कि वो नक्सल संगठन में आने के पहले इंजीनियर था. इसका एनकाउंटर पुलिस की बड़ी उपलब्धियों में से एक है. इससे पहले भी कई मुठभेड़ों में वो फंसा चुका था, लेकिन वह किसी न किसी तरह से बच निकलता था। अबूझमाड़ के जंगल में हुए मुठभेड़ में इस बार वो बच नहीं पाया और ढेर हो गया। कहा जा रहा है कि मृत नक्सली आंध्रप्रदेश के जिला गुंटूर के पोचमपल्ली का रहने वाला था। उसका असली नाम मोहन राव है. इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया था. लेकिन फिर नक्सल संगठन से जुड़ गया था। इसके बाद मोहन राव उर्फ रामचन्द्र उर्फ कार्तिक उर्फ दसरू उर्फ दसरन्ना उर्फ नरेश उर्फ लखमू उर्फ जीवन इन नामों से जाना जाता था. छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश में इसकी सक्रियता थी।

भीषण चक्रवाती तूफान की दस्तक; 6 राज्यों में भारी बारिश, 11 में कोल्ड वेव, 8 में कोहरा छाएगा

रायपुर/नई दिल्ली । आरएनएस

एक ओर देश हाड़ कंपाने वाली ठंड की चपेट में है। दूसरी ओर भीषण चक्रवाती तूफान दस्तक दे रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले एक हफ्ते तक देशभर में शीत लहर चलने, घना कोहरा छाने, बर्फबारी और भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार, ठंड बढने के कई कारण हैं। जैसे पश्चिम-उत्तर भारत में 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर 278 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से ठंडी हवाएं चल रही हैं। वेस्टर्न डिस्टरबेंस (पश्चिमी विक्षोभ) भी एक्टिव है, जिससे बर्फ पिघल रही है और उत्तर भारत-मध्य भारत सूखी ठंड की चपेट में है। पाकिस्तान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने से जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी हो रही है। मन्नार की खाड़ी और उसके आसपास के एरिया में लो प्रेशर वाला एरिया बना हुआ है। इसके अगले 24 घंटों में पश्चिम की ओर बढऩे और कम होने की संभावना है। 14 दिसंबर के आस-पास दक्षिण अंडमान सागर पर ऊपरी हवा का चक्रवात बनने की संभावना है। 15 दिसंबर के आसपास इसके लो प्रेशर वाला एरिया बनने और अगले 48 घंटों के दौरान पश्चिम-उत्तर-पश्चिम में तमिलनाडु तटों की ओर बढऩे की संभावना है। इसके असर से दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश होने की चेतावनी है।

7 दिन ऐसा रहेगा देशभर का मौसम- मौसम विभाग के अनुसार, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गंगीय पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में शीत लहर से गंभीर शीत लहर चलने के आसार हैं। मध्य प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति होने की संभावना है।

ओडिशा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 20 दिसंबर तक घना कोहरा छा सकता है। उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में ग्राउंड फ्रॉस्ट की स्थिति होने की संभावना है। दक्षिण भारत के राज्यों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, पुडुचेरी में भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी है।

जिला प्रशासन और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने रायगढ़ के 6 राइस मिलों में दी दबिश

- खरसिया के आनंदी और नारायण राइस मिल में जांच जारी, कार्यवाही पूरी होने तक दोनों मिल को किया गया सील
- छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश के उल्लंघन पर जांच में पहुंचे हैं अधिकारी

रायगढ़

रायगढ़ में खाद्य विभाग की टीम द्वारा जिला प्रशासन के संयुक्त दल के तत्वाधान में रायगढ़ के छह राइस मिलों में औचक निरीक्षण किया गया। इसमें सत्यम बालाजी राइस मिल सहदेवपाली, व्योम राइस मिल, एनएस राइस इंडस्ट्रीज और जी एस राइस इंडस्ट्रीज सभी डोंगीतराई और खरसिया में आनंदी और नारायण राइस मिल में संयुक्त टीम जांच के लिए पहुंची। इसमें खरसिया के दो राइस मिल्स, आनंदी और नारायण राइस मिल को अनियमितता और नियमों के उल्लंघन के चलते सील करने के निर्देश दिए गए है।

जिला खाद्य अधिकारी खुमेश्वर सिंह ने बताया कि संयुक्त जांच टीम द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के कस्टम मिलिंग के बाद चावल जमा का स्टॉक वेरिफिकेशन किया जा रहा है। खरसिया के आनंदी राइस मिल में बीते वर्ष के धान कस्टम मिलिंग के स्टॉक का मिलान किया जा रहा है, प्रारंभिक जांच में स्टॉक में अंतर मिलने पर आनंदी राइस मिल को जांच प्रक्रिया पूरी होने तक सील कर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। वहीं खरसिया के नारायण राइस मिल में बीते वर्ष के कस्टम मिलिंग के लेखों की जांच की जा रही है साथ ही इस वर्ष कस्टम मिलिंग में रुचि नहीं लेने के चलते जांच की प्रक्रियाधीन कार्यवाही पूरी होने तक नारायण राइस मिल को भी सील किया गया है।

जिला खाद्य अधिकारी सिंह ने आगे बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में कस्टम मिलिंग हेतु कई मिलर्स द्वारा पंजीयन नहीं कराया गया है वहीं कई मिलर्स द्वारा पंजीयन कराने के उपरांत भी अनुमति एवं अनुबंध का निष्पादन नहीं कराया गया है व शासकीय धान के उठाव में कम रुचि दिखाई जा रही है। जो कि प्रथम दृष्टया छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश, 2016 का उल्लंघन है। जिसके तहत मिलर को मिलिंग क्षमता के 50 प्रतिशत का शासकीय धान का कस्टम मिलिंग करना अनिवार्य है। राईस मिलों में जांच टीम द्वारा दबिश दी गई है एवं नियमानुसार जांच की जा रही है। वहीं मिलर को पंजीयन कराने और बैंक गारंटी व एफडीआर करवा कर धान का उठाव करने और कस्टम मिलिंग भी शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। खाद्य विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा आगामी समय में प्रतिदिन आंकड़ों के आधार पर इस स्थिति पर नजर रखी जाएगी और समय-समय पर आवश्यकतानुसार युक्तियुक्त कार्यवाही की जाएगी।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480